मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2866

15.03.2016 को उत्तर के लिए

सतलुज नदी में प्रदूषण

2866. श्री अर्जुन लाल मीणा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतलुज नदी और इसकी सहायक नदियों में मल जल और औद्योगिक बहिस्राव डाले जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हरीके बैराज पर राजस्थान की नहरों में उक्त मल जल का स्राव किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान को आपूर्ति किए जा रहे नहर जल को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी पंजाब के औद्योगिक और शहरी प्राधिकरणों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख) केंद्रीय प्रदूष्ज्ञण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के सहयोग से पंजाब में सतलुज नदी (हरिके बैराज की ओर लुधियाना उर्ध्वधारा) और व्यास नदी की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करता है। लुधियाना, जालंधर तथा फगवाड़ा सहित पंजाब के विभिन्न नगरों और शहरों से अशोधित/ आंशिक रूप से शोधित मल-जल एवं औद्योगिक बहि:स्राव के निस्सारण के कारण सतलुज नदी और इसकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(ग) और (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लुधियाना तथा जालंधर में मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) और लेदर कॉम्प्लेक्स, जालंधर में संस्थापित साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) के इष्टतम प्रचालन तथा रख-रखाव हेतु संबंधित प्राधिकरणों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) के अंतर्गत निर्देशों को जारी करने के लिए नवम्बर, 2012 एवं जनवरी, 2014 में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को सलाह दी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि न तो सतलुज तथा व्यास नदियों और न ही नालों में कोई औद्योगिक इकाई अपने अशोधित/आंशिक रूप से शोधित बहि:स्राव नहीं बहायेंगे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सतलुज और व्यास नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समुचित कार्रवाई करने हेतु नवम्बर, 2014 में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी पीपीसीबी सहित सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उनके संबंधित राज्यों में सृजित मल-जल के शोधन और उपयोग के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत अप्रैल, 2015 में निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2015 में, लुधियाना सहित 69 महानगरों के नगर निगमों को अपने क्षेत्राधिकार में सृजित मल-जल के उचित एकत्रण, शोधन और निपटान हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (5) के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं।

****